भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3640
10.08.2026 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत परियोजनाएं

3640. श्री गौरव गोगोई:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और माजुली जिलों में बाढ़ की बढ़ती बारंबारता और तीव्रता के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हुए कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई अध्ययन करने का विचार है;

(ख) क्या असम के लिए जलवायु संवेदनशीलता और बाढ़-जोखिम का आकलन पूरा हो चुका है और यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से जिले शामिल हैं और उनका जिलेवार वर्तमान जोखिम वर्गीकरण क्या है;

(ग) जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत असम के लिए स्वीकृत की गई आर्द्रभूमि बहाली, बाढ़-मैदान संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और माजुली या प्रभावित ऊपरी असम जिलों को कवर करने वाली परियोजना क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत जारी की गई, उपयोग की गई निधि कितनी है और प्राप्त परिणाम क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं संधारणीय विकास हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) का कार्यान्वयन करता है। इस मिशन के अंतर्गत, राज्य को संवेदनशीलता और जोखिम आकलन, मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जन जागरूकता कार्यक्रमों तथा संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए असम राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखना तथा राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एसएपीसीसी) के भाग के रूप में राज्य द्वारा अभिचिह्नित कार्यों का कार्यान्वयन करना है।

इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने भारतीय राज्यों की संवेदनशीलता और जोखिम मानचित्रण से संबंधित एक अध्ययन का समर्थन किया है और "वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल्स फॉर इंडिया: स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क" और "डिस्ट्रिक्ट-लेवल क्लाईमेट रिस्क

असेस्मेंट फॉर इंडिया: मैपिंग फ्लड एंड ड्रॉट रिस्क्स यूजिंग इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) फ्रेमवर्क" नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

संवेदनशीलता रिपोर्ट में असम को 0.62 के संवेदनशीलता सूचकांक के साथ भारत का 5वाँ सर्वाधिक जलवायु-संवेदनशील राज्य दर्शाया गया है। इसके अलावा, भारत के 25 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में से 15 जिले असम के हैं, जिनमें 0.753 के संवेदनशीलता सूचकांक के साथ करीमगंज भारत का सर्वाधिक संवेदनशील जिला है।

जोखिम आकलन अध्ययन के अनुसार, असम में अत्यधिक उच्च से उच्च बाढ़-प्रवण जिले हैं और 24 जिले "अत्यधिक" बाढ़ तथा सूखा जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, अध्ययन के अनुसार असम के चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा-मनकाचर और गोलाघाट सहित 11 जिले बाढ़ और सूखे दोनों के दोहरे जोखिम के अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के अंतर्गत, भारत सरकार ने "जैविक खेती और तालाब आधारित मत्स्य पालन के माध्यम से संवेदनशील समुदायों के लिए जलवायु अनुकूल आजीविका का सृजन करते हुए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन" नामक परियोजना को कुल 24.57 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना के लिए जारी की गई 24.57 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि का उपयोग किया गया है। यह परियोजना असम के गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर जिलों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है।

परियोजना के प्रमुख परिणामों में चयनित बीलों (आर्द्रभूमियों) का पुनरुद्धार शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप जल-धारण क्षमता में वृद्धि हुई है और पारिस्थितिकी तंत्र अनुकूलन बेहतर हुआ है, जैविक खेती और तालाब आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास रहने वाले संवेदनशील समुदायों के लिए जलवायु अनुकूल आजीविका के अवसरों का सृजन हुआ है तथा विभिन्न जल संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन हुआ है, जो संधारणीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में योगदान देते हैं।
